न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1784–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 9.5.11 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 318/08–09/निगरानी.

1– बृज किशोर उर्फ किशोरी

2– तेजसिंह

पुत्रगण चन्ने जाति काछी

नि0 ग्राम हंसारी भान्डेर तहसील भाण्डेर

जिला दतिया म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– कृष्णकुमार पुत्र श्री छोटेलाल भटनागर

2– सरिता पत्नी कृष्णकुमार भटनागर

नि. मोहल्ला काजीपाठा कस्बा भाण्डेर

3– म.प्र. राज्य द्वारा पटवारी ग्राम हंसारी

तह. भान्डेर जिला दतिया ——— अनावेदकगण

श्री एस. पी. धाकड़, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अधिवक्ता, अनावेदक क. 1 एवं 2.
श्री वी.एन. त्यागी, अधिवक्ता, अनावेदक शासन.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13 अक्टूबर 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 318/08–09/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9–15–11 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अनावेदक सरिता पत्नी कृष्ण कुमार द्वारा तहसीलदार, भाण्डेर के समक्ष एक आवेदन संहिता की धासरा 250 के तहत प्रस्तुत कर उसके स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम हंसारी सर्वे नं. 179 रकबा 0.110 पर आवेदकों द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर हटाए जाने की मांग की गई । तहसील न्यायालय ने उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई और प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य के आधार प्रकरण प्रचलन योग्य पाया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अपर कलेक्टर, दतिया के न्यायालय में निगरानी पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 18–3–09 द्वारा निरस्त की । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रुटिपूर्ण हैं । तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 में उल्लिखित मापदंडों की पूर्ति नहीं की गई है । आवेदन अवधि बाह्य पेश किया गया है ऐसी स्थिति में आवेदन पर कार्यवाही अवैध है । प्रकरण में कथित विवाद के निराकरण एवं श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को है । प्रश्नाधीन बाबड़ी सार्वजनिक संपत्ति है जिस पर भूमिस्वामी होने संबंधी इंद्राज अवैध है ।

4– अनावेदक कमांक 1 एवं 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन कुंआ सार्वजनिक संपत्ति नहीं है बल्कि उनके भूमिस्वामित्व की है जिस पर से कब्जा हटाने का अधिकारी संहिता की धारा 250 के तहत तहसीलदार को हैं । अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वह विधिसम्मत हैं ।

5– अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया गया ।

6– उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेशों का अवलोकन किया । प्रकरण कुंए से अतिक्रमण हटाने के बारे में है । प्रकरण में अपर आयुक्त ने यह पाया है कि खसरा वर्ष 2004–05 में आलोच्य भूमि कुंए रूप में सरिता देवी के नाम दर्ज रही है और इस खसरे के खाना नं0 12 में आवेदकों का कब्जा अंकित नहीं है । आवेदकों द्वारा निरंतर कब्जे के संबंध में कोई प्रमाण भी उनके समक्ष पेश नहीं

किया गया है और उन्होने न्यादृष्टांत 1971 आर.एन. 264, 19868 जे.एल.जे. एस.एन. 94 में दिए गए सिद्धांत के आधार पर यह पाया है कि भूमि चाहे कृषि की हो अथवा आबादी क्षेत्र में स्थित हो, संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही की जा सकती है । उन्होंने अभिलेख के आधार पर यह भी पाया है कि आवेदकों ने भूमि अनावेदक के स्वामित्व की न होने बावत कोई प्रमाण किसी न्याालय में पेश नहीं किया है । उक्त कारणों से उन्होंने तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण को प्रचलन योग्य मानन संबंधी आदेश की पुष्टि करते हुए निगरानी निरस्त की है । अपर आयुक्त का आलोच्य आदेश उचित, न्यायिक एव विधिसम्मत है और उसमें ऐसी कोई सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर